


उर्द अडकल

न्यायालय जिला कलकत्ता एव जिला मीजस्ट्रेट जयपुर

मंगी देगी कनाम एव ही ओ पानी व अन्य

केस संख्या : 54/2012 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08.10.2012	<p>पत्रावली पत्र दुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी पानी के पीटासीन अधिकारी श्री राजकुमार कसदा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को मीर से मुना गया। पत्रावली का परीपरीति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी पानी के समक्ष दिवाराधीन प्रकरण संख्या 21/2011 व उनका मंगी कनाम नन्दा व अन्य में पीटासीन अधिकारी श्री राजकुमार कसदा से न्याय मिलने में रोक जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पानी के पीटासीन अधिकारी श्री राजकुमार कसदा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके दिवद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	<p style="text-align: center;">  (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मीजस्ट्रेट जयपुर </p>